न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या/2019/17

1. मन्दिर श्री बिहारी जी जरिये पुजारी व ट्रस्टी ओमप्रकाश भारद्वाज पता बिहारी बाजार बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
2. गणेश नारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
3. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री हनुमान
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
5. सुरेश पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
   समस्त जातियान बागडा ब्राहमण, निवासी बागडो का मौहल्ला, ग्राम बगरू कलाँ, तहसील साँगानेर, जिला जयपुर राज0
6. जगदीश पुत्र स्व0 हनुमान सहाय
7. सीताराम पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
8. कैलाश पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
9. बंशी पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
10. केशर लाल पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
11. रूकमणी धर्मपत्नी स्व0 श्री हनुमान यादव
    समस्त जाति यादव निवासी उँती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू कलाँ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
12. बाबू लाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
13. श्रीमती सायर वैवा स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
14. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व0 श्री गोपाल लाल यादव
15. रामसहाय पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगी लाल
16. मोहन पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगी लाल
17. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल
    समस्त जाति यादव, निवासी उँती रोड, मलिक फॉर्म के सामने बगरू कलाँ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
18. तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

... नियम 1

रिसीवर नियुक्ति प्रार्थना पत्र ... धारा ... (1) राजस्थान व्यवहार प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत धारा ... काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक: 30.03.2022

प्रार्थी की ओर से रिसीवर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि - वाद रामनारायण व अन्य बनाम मंदिर श्री बिहारी जी व अन्य वर्तमान में श्रीमान् न्यायालय के समक्ष लम्बित है जिसका वाद संख्या 13/2019 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 11/19 है जिसमें प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउन्टर क्लेम व काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित वाद रामनारायण व अन्य बनाम मंदिर श्री बिहारी जी व अन्य की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 4020 रकबा 0.400 है० खसरा नंबर 4021 रकबा 0.3600 है० खसरा नंबर 4022 रकबा 1.0100 है० खसरा नंबर 4023 रकबा 0.34 है० खसरा नंबर 4024 रकबा 0.1700 है०, खसरा नंबर 4025 रकबा 0.2200 है० खसरा नंबर 4026 रकबा 0.0100 है०, खसरा नंबर 4027 रकबा 0.3500 है० खसरा नंबर 4028 रकबा 0.1200 है०, खसरा नंबर 4029 रकबा 0.2800 है० खसरा नंबर 4030 रकबा 0.5100 है०, खसरा नंबर 4031 रकबा 0.2100 है० खसरा नंबर 4032 रकबा 0.2000 है०, खसरा नंबर 4034 रकबा 0.3800 है० खसरा नंबर 4035 रकबा 0.2200 है०, खसरा नंबर 4036 रकबा 0.2400 है० कुल खसरा 15 कुल रकबा 5.01 है० ग्राम बगरू कलाँ, पटवार हल्का बगरू कलाँ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में मंदिर श्री बिहारी जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण व प्रार्थी को उक्त दीवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा में अन्तरिम आदेश पारित करते हुए मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये है इससे पूर्व भी एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का ही प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी की काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018 प्रकरण मंदिर श्री बिहारी जी बनाम जगदीश व अन्य मूलवाद गोपाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य में दिनांक 19.06.2018 को [illegible] यथास्थिति के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति [illegible] गये उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी [illegible] द्वारा बहस की गयी तथा उक्त आदेश का हुक्मनामा माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया उक्त आदेश तथा वर्तमान वाद रामनारायण व अन्य बनाम मंदिर श्री बिहारी जी व अन्य के अन्तिरिम आदेश की पूर्ण जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

महाराजा कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण को शुरू से ही है। अप्रार्थीगण आये दिन मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने की कोशिशे करते रहते है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 व 12 लगायत 17 आये दिन मंदिर भूमि पर फसल बौने को लेकर लडाई झगडा करते रहते है अप्रार्थीगण को अनेको बार मंदिर पुजारी प्रार्थी व इनके परिवार द्वारा मना करने के उपरांत भी ये लोग बाहुबल के आधार पर मंदिर की भूमि में फसल आदि बोने के लिये लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है तथा पुजारी द्वारा बोयी गई फसलो को जबरन काटकर ले जाते है। मंदिर माफी की भूमि भगवान के भोग के लिये होती है परन्तु अप्रार्थीगण अपने बाहुबल के आधार पर नाजायज व अवैध तरीके से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने व काश्त करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने पर उतारू है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। मंदिर माफी की भूमि पर अप्रार्थीगण के कोई विधिक अधिकार सृजित नही होते है। मंदिर में मूर्ति के भोग की आमदनी इस भूमि के अतिरिक्त और कोई जरिये नही है दिनांक 31.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 द्वारा एवं उनके द्वारा लाये गये 25–30 लोग, 4–5 ट्रेक्टर ट्रोलीयो में कुल्हाडिया, गेतिया, कटर एवं रस्से आदि लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और हरे पेडो को काटना शुरू कर दिया आसपास के लोगो के द्वारा सूचना देने पर प्रार्थी व इनके परिवार के लोग वहाँ पर गये और पेड काटने से मना किया तो उल्टे इसके साथ आये लोगो ने चुपचाप चले जाने को कहा प्रार्थी द्वारा एवं उनके परिवार वालो के द्वारा पेड काटने से मना करने के लिये ज्यादा जोर देकर कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 व 12 लगायत 17 के मध्य ही आपस में लडाई झगडा होना शुरू हो गया। पुलिस में सुचना देने पर काफी देर बाद पुलिस वहाँ पर आई और दोनो पक्षो के 5–6 व्यक्तियों को पकडकर ले गई किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इतना होने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 द्वारा मंदिर माफी की भूमि में से 100–125 पेडो को काटकर ले गये और धमकी देकर गये कि हमने सबको खरीद रखा है और हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है। अप्रार्थीगण [illegible] राजस्व रिकॉर्ड की [illegible] द्वारा दोनो वादो में यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिये [illegible] 11 द्वारा दिनांक 07.07. [illegible] परिवार के 30–40 लोग पाबंद करने के उपरांत भी अप्रार्थी [illegible] 2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं [illegible] ट्रेक्टरो को लेकर आ गये और वादग्रस्त भूमि पर जुताई करने लगे प्रार्थी को ज्ञान होने पर प्रार्थी मौका स्थल पर पहुँचा तथा अप्रार्थी को मना किया, तो

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उल्टे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकीया देंने लग गये प्रार्थी अकेला होने के कारण अपनी जान बचाकर चुपचाप वहॉं से चला आया तथा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने उल्टे प्रार्थी को धमकाकर कहा कि अप्रार्थीगण के पास काश्त करने पर कोर्ट का लेटर है हम कुछ भी नही कर सकते है इन सबसे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण मंदिर माफी की भूमि को हडप करने व उसका उपयोग, उपभोग करने व नाजायज कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेशों का मखौल उडा रहे है अपने बाहुबल व गुण्डागर्दी के बल पर वादग्रस्त मंदिर माफी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिशे करते रहते है व आये दिन हरे पेडो को काटकर ले जाते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 को द्वारा न्यायालय के अन्तरिम आदेश वाद रामनारायण व अन्य बनाम मंदिर श्री बिहारी जी व अन्य के आदेश की खुली अवहेलना कर जबरन कब्जा करने से रोकने व अन्य वाद गोपाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.06.2018 के आदेश की पालना के लिये व भविष्य के लिये भी जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो जावे तब तक के लिये उक्त वादग्रस्त भूमि का रिसीवर नियुक्त कर उसकी निगरानी में फसल को काटने बौने एवं अन्य उपज का विक्रय कर विक्रय राशि न्यायालय द्वारा निर्देशित खाते में जमा करवाई जावे एवं भविष्य में किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नही की जावे इसलिये वादग्रस्त भूमि का रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वर्तमान जमाबंदी में भूमि विवादग्रस्त को मन्दिर श्री बिहारीजी के नाम खातेदारी में अंकित किया हुआ है परन्तु उक्त इन्द्राजात पूर्णतः गलत व आधारहीन है। वादीगण ने उक्त इन्द्राजात को सही अंति किये जाने के उद्देश्य से खातेदारी अधिकारों की घोषण व दुरूस्ती इन्द्राज हेतु दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण / प्रार्थीगण साधिकार [illegible] है और माननीय न्यायालय ने वादीगण [illegible] प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया [illegible] होना स्वीकार करते हुये भूमि विवादग्रस्त के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किये। पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 21/2018

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उनवानी मन्दिर श्री बिहारजी बनाम जगदीश वगैरह में माननीय न्यायालय द्वारा इकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाना स्वीकार है परन्तु उक्त आदेश पूर्णतः गलत व आधारहीन है। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि विवादग्रस्त ना तो प्रतिवादी संख्या 1 मन्दिर श्री बिहाराजी की खातेदारी अथवा कब्जे काश्त की भूमि है और ना ही कभी उत्तरदाता वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त पर फसल बौने को लेकर कोई लडाई–झगडा किया। जब भूमि विवादग्रस्त पर पूर्व से ही वादीगण बहैसियत खातेदार कृषक निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तब माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018 में मौके व रिकॉर्ड की यथावत रखे जाने के आदेश का ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि न्यायालय द्वारा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल किये जाने अथवा प्रार्थीगण को पूर्ववत, निरन्तर काश्त करते रहने के अधिकार से वंचित किये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जा सकता हो। राजस्व न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश का किसी भी प्रकार से कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि भूमि विवादग्रस्त पर जो व्यक्ति पूर्व से निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हों, वह काश्त करना ही छोड़ दें। प्रतिवादी/प्रार्थी अपने प्रभाव का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से उक्त आदेश के आधार पर प्रार्थीगण को भूमि विवादग्रस्त पर काश्त करने के अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से अवैधानिक कार्यवाहिया करते रहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान बनाकर सभी प्रकार की "माफी" को समाप्त कर भूमि विवादग्रस्त पर जो कृषक काश्त कर रहा था उसे खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान बना दिये इन्टरमिजी ऑबोलिश होने के पश्चात् अब किसी भी प्रकार की "माफी" (जागीर) की भूमि का कोई अस्तित्व शेष ही नहीं रहा है। मन्दिर श्री बिहारजी के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार कब्जा दखल नहीं है। दिनांक 31.05.2018 को प्रार्थना पत्र में बनाये गये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा 25–30 लोग 4–5 ट्रेक्टर–ट्रोलियों में कुल्हाडियों, गंडासे, कटर व रस्से आदि लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आने का कथन अथवा वादीगण द्वारा हरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिये जाने का आरोप पूर्णतः गलत व आधारहीन है। जब वादीगण स्वयं ही भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काबिज काश्तकार है तब

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा अपनी ही खातेदारी की भूमि पर अपने द्वारा लगाये गये हरे पेड़ों को ही काटे जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वादीगण को पेड काटने से मना करने का कभी कोई कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ और ना ही कभी वादीगण ने मन्दिर श्री बिहारीजी के पुजारी के परिवार को किसी प्रकार की कोई धमकी दी। वास्तव में भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण द्वारा बबूल के कुछ पेड़ लगाये हुये है जो काफी बडे हो गये जो पेड़ राजस्थान विद्युत वितरण निगम की हाईटेन्शन लाईन के सपीप आ रहे थे, उनके कुछ उपरी हिस्से को विद्युत वितरण निगम द्वारा काटने की कार्यवाही की है जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है। पेड़ काटने की किसी बात को लेकर अथवा तथाकथित धमकी देने की बात पर मन्दिर श्री बिहारजी के पुजारी द्वारा ना तो पुलिस में कोई केस दर्ज कराया गया और ना ही पुलिस कभी वादीगण को पकड़कर ले गई। वादीगण सभ्य आदमी है जो ना तो गाली-गलौच करते हैं और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 के पुजारी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने की कोई कार्यवाही कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मनगढ़ंत व आधारहीन आरोप वादीगण पर आरोपित किये गये हैं जो पूर्णतः गलत व निराधार है। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण को उनके वास्तविक कब्जे काश्त की भूमि से येनकेन प्रकारेण बेदखल करने के उद्देश्य से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यह आवेदन नियुक्ति रिसीवर प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतः गलत व आधारहीन है। प्रार्थना पत्र में वर्णित यह कथन कि भविष्य में भी अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का अन्देशा है, पूर्णतः निराधार है। जब जब आज दिनांक तक ही वादीगण ने न्यायालय के किसी आदेश की कोई अवहेलना नहीं की तब भविष्य में भी न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भूमि विवादग्रस्त पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का किसी भी प्रकार का कोई आधार व औचित्य नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र की अतिरिक्त [illegible] में अंकित है कि — वादग्रस्त भूमि महन्त गोरधनदास चेला माधवदास, जाति ब्रा[illegible] की [illegible]खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व [illegible] अभिलेखों में [illegible] गोरधनदास चेला माधवदास का नाम खातेदार [illegible] और वही उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर लगान राज्य सरकार को अदा करता था। श्री गोरधनदास चेला माधवदास, जाति ब्राह्मण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2207

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रकबा 16 बिस्वा, 2208 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 2209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 2210 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 2201 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 2202 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2203 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2205 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 2206 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 को दिनांक 11.05.1964 के विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 8, क्रम संख्या 74, पृष्ट संख्या 251 से 252 पर दिनांक 22.05.1964 को पंजीकृत कर दिया तब से उक्त क्रेतागण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहें। हनुमान पुत्र सोहनलाल बागडा ब्राह्मण का दिनांक 06.01.2009 को देहानत हो गया। मृतक श्री हनुमान पुत्र सोहनलाल के अप्रार्थी/वादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र हैं तथा चतुर्थ पुत्र कल्याण सहाय का भी देहान्त हो गया जिसके दो पुत्र बाबूलाल व सुरेश अप्रार्थी/वादी संख्या 4 व 5 हैं। हनुमान पुत्र चौहान यादव, जाति अहीर का भी दिनांक 10.01.2003 को देहान्त हो गया। हनुमान पुत्र चौगान यादव के पांच पुत्र जगदीश, सीताराम, कैलाश, बंशी व केसरलाल अप्रार्थी/वादी संख्या 6 लगायत 10 हैं तथा उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रूकमणी अप्रार्थी/वादी संख्या 11 है जो निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज रहकर कब्जे काश्त चले आ रहे हैं। दिनांक 22.05.1964 को पंजीकृत किये गये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामांतरकरण संख्या 329 दिनांक 04.07.1964 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में हनुमान पुत्र सोहनलाल, तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव का नाम बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित कर दिया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जो विधि के तकनीकी प्रावधानों से पूर्णतः परिचित नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण/वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर, काश्तकार लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे इसलिये उन्हें राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को देखने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पडी। गोपाल पुत्र चौगान तथा रामसहाय, मोहन व राधेश्याम पुत्रान् मांगू उर्फ [illegible] घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष [illegible] लगायत 11 व प्रारूपिक अप्रार्थी/प्रति[illegible] के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष मूलतः यह अंकित क[illegible]हुये प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को जो हनुमान पुत्र चौगान ने पंजीकृत विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

द्वारा क्रय किया था उसमें उनका भी हिस्सा निहित है। उक्त वाद संख्या 55/2017 उनवानी गोपाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य माननीय न्यायालय के समक्ष ही विचाराधीन है। उक्त दावे में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जो कि वर्तमान दावे में अप्रार्थी/वादी संख्या 6 लगायत 11 है, ने वादोत्तर भी प्रस्तुत कर उक्त भूमि को पूर्व खातेदार कृषक गोरधनदास से दिनांक 22.05.1964 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री हनुमान पुत्र सोहनलाल, हिस्सा 1/2 तथा श्री हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना और उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त किया जाना स्पष्ट किया। वाद में मन्दिर श्री बिहारीजी की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत होने के पश्चात् जब उक्त वाद संख्या 55/2017 में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने राजस्व भू–अभिलेखों में जानकारी की तो पता चला कि राजस्व भू–अभिलेखों में जो हनुमान पुत्र सोहनलाल बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था उसे लोपित कर "मन्दिर श्री बिहारजी स्थान देह" का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया है परन्तु हनुमान पुत्र सोहनलाल व हनुमान पुत्र चौगान यादव का नाम किस आधार पर व किसी आदेश से लोपित कर मन्दिर बिहाराजी का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया, इसकी कोई जानकारी अप्रार्थीगण/वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकी। राजस्व भू–अभिलेखों के संबंध में काफी जानकारी करने के पश्चात् भी जब उक्त प्रकरण का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका तब मौजूदा अप्रार्थी/वादी संख्या 7 सीताराम पुत्र हनुमान सहाय यादव ने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर सांगानेर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त संदर्भित जानकारी चाही तो उप जिला कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर ने दिनांक 12.09.2018 को एक पत्र उप तहसीलदार बगरू को प्रेषित कर उक्त संबंध में स्पष्ट जानकारी देने हेतु निर्देशित किया और न्यायालय की प्रति आवेदन में प्रेषित की जिस पर उप तहसीलदार बगरू ने दिनांक [illegible] अप्रार्थी/वादी संख्या 7 को यह स्पष्टीकरण दिया कि भूमि [illegible] संबंधित रिकॉर्ड आपको पूर्व में उपलब्ध कराया [illegible] है, शेष [illegible] इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना [illegible] से सम्पर्क कर प्राप्त करें। उल्लेखनीय है कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थीगण/वादीगण ने भू–प्रबंध विभाग जयपुर के समक्ष भी जानकारी हेतु काफी प्रयत्न किये तो

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उन्हें मात्र यह ही जानकारी दी गई कि उनके पास उक्त संदर्भ में कोई अभिलेख नहीं है इसलिये अप्रार्थी को उक्त संदर्भित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। राजस्व भू–अभिलेखों में क्रेतागण हनुमान पुत्र सोहनलाल बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 का नाम लोपित कर जो "मन्दिर श्री बिहाराजी स्थान देह" का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया है यह इन्द्राजात क्षेत्राधिकार के बाहर किये गये अवैध इन्द्राजात है जो प्रारम्भ से ही शून्य है और इसलिये राजस्व भू–अभिलेखों में क्षेत्राधिकार के बाहर किये गये उक्त प्रभावशून्य इन्द्राजात को दुरूस्त कर राजस्व भू–अभिलेखों में हनुमान पुत्र सोहनलाल बागडा ब्राह्मण तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर के नाम ही खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर उनका देहान्त हो जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण/वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण/वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर दिनांक 11.05.1964 को भूमि क्रय करने की दिनांक से ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने अप्रार्थीगण/वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु कभी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और यदि भूमि विवादग्रस्त पर अन्य किसी व्यक्ति के अथवा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के कोई अधिकार यदि किसी भी प्रकार से हों भी तो वे समस्त अधिकार भूमि विवादग्रस्त पर अप्रार्थीगण/वादीगण का निरन्तर तन्हा कब्जा होने की वजह से समाप्त हो गये। भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टावाद नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। वादीगण/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने के उद्देश्य मात्र से यह आवेदन नियुक्ति रिसीवर प्रस्तुत किया गया है, जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्ति प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर [illegible] का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया।

मूलवाद अप्रार्थी/वादी रामनारायण वगै. द्वारा घोषणा [illegible] इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018 में न्यायालय द्वा मौके एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए है। जब मान्य न्यायालय द्वारा वादग्रस्त,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

आराजीयात पर मौके एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किए हुए है और अप्रार्थी/वादीगण द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में अलग से कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजीयात के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर रहे हो। चूंकि मूलवाद का अभी निस्तारण नही हुआ है और मूलवाद में साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात उपरांत यह विनिश्चत किया जाना है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी/प्रतिवादी या अप्रार्थी/वादी मे से कौन काबिज है। ऐसे में बिना कब्जे का विनिश्चत किए हुए केवल मात्र कथनों के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्ति अन्तर्गत आदेश–40 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत धारा 212 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner